बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
आदेश

पटना, दिनांक–.....

का0आ0सं0–8बी / विविध–अरा0आ0नि0–11 / 2023.....5398...../– बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 23 के अन्तर्गत सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार के समक्ष श्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह तत्कालीन उच्चवर्गीय लिपिक, अवर निबंधन कार्यालय, राजगीर (नालंदा) सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No.-6350/2023 में दिनांक–13.02.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय आदेश सं0–3179 दिनांक–20.06.2022 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 (बी) के प्रावधानों के तहत् आदेश निर्गत की तिथि से 05 वर्षों तक 10% (दस प्रतिशत) पेंशन कटौती का दंड अधिरोपित एवं संसूचित दण्डादेश के विरूद्ध अपील आवेदन दायर किया गया।

2. श्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह तत्कालीन उच्चवर्गीय लिपिक, अवर निबंधन कार्यालय, राजगीर (नालंदा) सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा अवर निबंधन कार्यालय, राजगीर के पदस्थापन अवधि में दस्तावेज संख्या–3993 / 2019 एवं 4411 / 2019 में स्थल जाँच के क्रम में अंतरित भूमि की गलत श्रेणी एवं 2249 / 2019 में गलत वार्ड संख्या प्रतिवेदित करने तथा क्रेता को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य के कारण सरकार को हुई कुल सरकारी राजस्व क्षति कुल रूपये 10,02,704 / – (रूपये दस लाख दो हजार सात सौ चार मात्र) के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के आलोक में विभागीय आदेश संख्या–4124, दिनांक–02.11.2021 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी जिसमें श्री विनय कुमार, संयुक्त सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को संचालन पदाधिकारी तथा जिला अवर निबंधक, मुंगेर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संयुक्त सचिव–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–56, दिनांक–05.01.2022 द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि (i) दस्तावेज सं0–3993 / 2019 मौजा हशनपुर, थाना सं0–473, खाता सं0–15, खेसरा सं0–174, रकवा–14 डी0 में दिनांक–13.07.2019 को श्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह तत्कालीन उच्चवर्गीय लिपिक, अवर निबंधन कार्यालय, राजगीर (नालंदा) सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा स्थल जाँच के उपरांत समर्पित प्रतिवेदन में उक्त दस्तावेज को कृषि योग्य भूमि प्रतिवेदित किया गया जबकि परिवाद प्राप्त होने के उपरान्त जाँच के क्रम में इस भूमि की श्रेणी व्यवसायिक पायी गयी तथा एन0एच0–82 प्रधान सड़क से सटा पाया गया जिसके कारण कुल रू0–4,93,920 / –(रूपये चार लाख तिरानवें हजार नौ सौ बीस मात्र) की सरकारी राजस्व की क्षति हुई, (ii) दस्तावेज सं0–4411 / 2019 मौजा हशनपुर, थाना सं0–473, खाता सं0–15, खेसरा सं0–174, रकवा–14 डी0 में दिनांक–05.08.2019 को आरोपी कर्मी श्री सिंह द्वारा स्थल जाँच के उपरांत समर्पित प्रतिवेदन में उक्त दस्तावेज को कृषि योग्य भूमि प्रतिवेदित किया गया जबकि परिवाद प्राप्त होने के उपरान्त जाँच के क्रम में इस भूमि की श्रेणी व्यवसायिक पायी गयी तथा एन0एच0–82 प्रधान सड़क से सटा पाया गया जिसके कारण कुल रू0–4,98,800 / –(रूपये चार लाख अन्ठानवें हजार आठ सौ मात्र) की सरकारी राजस्व की क्षति हुई एवं (iii) दस्तावेज सं0–2249 / 2019 मौजा सबलपुर, थाना सं0–485, खाता सं0–168, खेसरा सं0–2953, रकवा–2 डी0 में दिनांक–22.04.2019 को श्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह द्वारा स्थल जाँच के उपरांत समर्पित प्रतिवेदन में उक्त दस्तावेज को वार्ड सं0–07 में तथा कच्ची रास्ता के अधीन आवासीय योग्य भूमि प्रतिवेदित किया गया जबकि परिवाद प्राप्त होने के उपरांत जाँच के क्रम में इस भूमि को वार्ड सं0–05 में तथा निजी रास्ता पर आवासीय श्रेणी का पाया गया जिसके कारण कुल रू0–9,984 / –(रूपये नौ हजार नौ सौ चौरासी मात्र) की

27/8/26

सरकारी राजस्व की क्षति हुई। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी कर्मी के विरूद्ध लगाये गये आरोप को संचालन पदाधिकारी के द्वारा जाँचोपरांत समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित पाया गया।

3. तत्पश्चात् आरोपी कर्मी श्री सिंह के विरूद्ध प्रमाणित आरोप के आलोक में जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए उनसे विभागीय पत्रांक–410 दिनांक–22.01.2022 द्वारा द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी जिसके अनुपालन में आरोपी कर्मी द्वारा द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया जिसमें उल्लेखित किया गया कि तत्कालीन अवर निबंधक, राजगीर एवं श्री सुशील कुमार सुमन तत्कालीन सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा प्रश्नगत दस्तावेज के चौहद्दी में उत्तर में 200 मीटर की परिधि में सीमेंट फैक्ट्री बताया गया है जो गलत है। संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी कर्मी श्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह तत्कालीन उच्चवर्गीय लिपिक, अवर निबंधन कार्यालय, राजगीर (नालंदा) सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी। अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोपों को संचालन पदाधिकारी द्वारा की गयी जाँच में प्रमाणित पाया गया है। आरोपी कर्मी श्री सिंह द्वारा सरकारी कार्यों व दायित्वों के निर्वहन में पूर्णतः लापरवाही बरतने के कारण सरकार को कुल रूपये 10,02,704 (रूपये दस लाख दो हजार सात सौ चार मात्र) का सरकारी राजस्व की क्षति हुई है जिसके कारण आरोपी कर्मी के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के आलोक में विभागीय आदेश सं0–3179, दिनांक–20.06.2022 के तहत् बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 (बी) के प्रावधानों के तहत् आदेश निर्गत की तिथि से 05 वर्षों तक 10% (दस प्रतिशत) पेंशन कटौती का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध आरोपी कर्मी द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन पर दिनांक–14.07.2026 को सुनवाई की गयी।

4. संचिका/अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि श्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह, तत्कालीन उच्चवर्गीय लिपिक, अवर निबंधन कार्यालय, राजगीर (नालंदा) सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा अवर निबंधन कार्यालय, राजगीर के पदस्थापन अवधि में दस्तावेज संख्या–3993/2019, 4411/2019 में स्थल जाँच के क्रम में अंतरित भूमि की गलत श्रेणी एवं 2249/2019 में गलत वार्ड संख्या प्रतिवेदित करने तथा क्रेता को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य के कारण सरकार को हुई सरकारी राजस्व क्षति के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के आलोक में विभागीय आदेश संख्या–4124, दिनांक–02.11.2021 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गई है। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरांत प्रमाणित आरोप एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान की समीक्षोपरांत विभागीय आदेश सं0–3179, दिनांक–20.06.2022 के तहत् बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 (बी) के प्रावधानों के तहत् आदेश निर्गत की तिथि से 05 वर्षों तक 10% (दस प्रतिशत) पेंशन कटौती का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

5. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पारित दंडादेश की समीक्षा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–27 के अधीन निम्न मानकों पर की गयीः–

(क) अनुशासनिक प्राधिकार ने दंडादेश पारित करने के क्रम में नियमावली में विहित प्रक्रियाओं का सर्वथा पालन किया है एवं उनके द्वारा भारत के संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(ख) अनुशासनिक प्राधिकार का निष्कर्ष अभिलेख पर रखे गये साक्ष्य द्वारा समर्थित है।

(ग) आरोपी कर्मी के विरूद्ध अधिरोपित दण्ड समानुपातिक एवं पर्याप्त है।

27/8/26

6. अपीलार्थी के अपील आवेदन के आलोक में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा विभागीय आदेश सं0–3179, दिनांक–20.06.2022 के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 2005 के नियम–23 के तहत् कोई भी अपील आवेदन लगभग 04 वर्षों तक दायर नहीं किया गया। उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दण्डादेश के विरूद्ध वाद संख्या CWJC No.-6350/2023 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उक्त वाद में दिनांक–13.02.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में आरोपी कर्मी द्वारा विभागीय आदेश सं0–3179, दिनांक–20.06.2022 के विरूद्ध अपील आवेदन दायर किया गया है। सुनवाई के क्रम में आरोपी कर्मी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि संचालन पदाधिकारी ने अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता के स्पष्टीकरण पर विचार किए बिना ही अपना जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपी कर्मी के द्वितीय बचाव बयान को अनदेखा किया गया है साथ ही आरोपी कर्मी द्वारा अधिरोपित दण्ड से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

7. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी कर्मी के द्वारा सरकारी कार्यों व दायित्वों के निर्वहन में पूर्णतः लापरवाही बरतने के कारण सरकार को कुल रूपये 10,02,704 (रूपये दस लाख दो हजार सात सौ चार मात्र) का सरकारी राजस्व की क्षति हुई है।

8. अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरांत अपीलार्थी श्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह तत्कालीन उच्चवर्गीय लिपिक, अवर निबंधन कार्यालय, राजगीर (नालंदा) सम्प्रति सेवानिवृत के अपील आवेदन को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 2005 के नियम–27(3) के अन्तर्गत खारिज करते हुए निबंधन महानिरीक्षक द्वारा पारित आदेश को सम्पुष्ट किया गया है।

9. अतएव उक्त के आलोक में श्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह तत्कालीन उच्चवर्गीय लिपिक, अवर निबंधन कार्यालय, राजगीर (नालंदा) सम्प्रति सेवानिवृत के अपील आवेदन कों खारिज किया जाता है।

10. इसमें विभागीय सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 8बी/विविध–अरा0आ0नि0–11/2023.....5398/– पटना, दिनांक–...27.08.26

प्रतिलिपि–सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निबंधन महानिरीक्षक के प्रधान आप्त सचिव/महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/उप निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पटना प्रमण्डल, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/जिला अवर निबंधक, नालन्दा/अवर निबंधक, राजगीर(नालन्दा)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–06/आई0टी मैनेजर, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/ श्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह, पिता–रामप्रवेश सिंह, टोले बाबु छेदी सिंह, अथमलगोला, पटना, बिहार, 803211 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/8/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।

27/8/26